

को पेश हो। (m)

16/11

पत्रावली पैदा हुई। वकील आपकी कृपा
वकील आपकी अनुपस्थिति में स्वयं
प्रवर्गित भी दायित्व नहीं है। वकील आपकी
को रुक-रुक कर आपकी लगाने वाली।
दायित्व नहीं है। लिहजा प्रवर्गित का
ज-पत्र वकील प्रवर्गित की अफस दायी
अफस पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली में दिनांक 20.1.2017 को पारित
अख्यारि निषेधाज्ञा को भी किया (किया
जाता है। पत्रावली के ताल में शुमार होकर
मूल 95 लेखन है।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

